



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)

स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र
 (अन्य पिछड़े वर्ग के लिए)

आवेदन सन्दर्भ क्रमांक 0705011916001971

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 2020-16-012119

प्रमाणित किया जाता है कि लिलिमा पटेल पिता कृष्ण कुमार पटेल निवासी नगोई बिलासपुर तहसील बिलासपुर तहसील जिला बिलासपुर राज्य छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात् जाति व / कि है। जिसे पिछड़े वर्ग रूप में छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र.एफ. 8-5/ पच्चीस/4/84, तिथि 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है तथा यह जाति छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुक्रमांक 62 पर अंकित है।

लिलिमा पटेल और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर तहसील बिलासपुर तहसील में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि लिलिमा पटेल श्रीमती (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 36012/22/93 स्था.(एस.सी.ट.) तिथि 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जापन . क्रमांक एफ 7-26/93/1/आ.प्रा. तिथि 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "इ" की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

It is hereby certified that Mr/Mrs/Ms LILIMA PATEL Father KRISHNA KUMAR PATEL resident of NAGOI BILASPUR village tehsil Bilaspur Tehsil District Bilaspur belongs to Other Backward Class caste. This caste has been recognized as Other Backward Classes vide Notification no. F-8-5/25/4/84 dated 26th december 1984, as amended from time to time by subsequent notifications, and this caste mentioned at serial no 62 as Other Backward Class of Chhattisgarh state. Therefore, MR/Mrs/Ms LILIMA PATEL Father KRISHNA KUMAR PATEL belongs to Other Backward Class.

2. This is also certified that Mr/Mrs/Ms LILIMA PATEL does not belong to the category of creamy layer persons/ classes which have been mentioned in the circular no 36012/22/93/ESTT(SCT) dated 8/09/1993 as amended by notification on 36033/3/2004-ESTT (Reservation) dated 14/10/2008 of Government of India, department of personnel and training and in column 3 of circular number f-9-3/2001/1-3 dated 24/06/2009 of General Administration Department.

3. This certificate has been issued under the provisions that in case the district level certificates verification committee or high power certification scrutiny committee during its inquiry /inspection finds the claim submitted by Mr/Mrs/Ms LILIMA PATEL is false or fraudulent, the certificate shall be deemed to be cancelled with immediate effect and notwithstanding contained anything under any other law for the time being in force, action shall be initiated under section 8-13 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of social status certification) Act, 2013.

अनुमोदन दिनांक: 22/10/2020

डिजिटल हस्ताक्षरित

देवेन्द्र पटेल

अनुविभागीय अधिकारी

1. यह प्रमाण पत्र लिलिमा पटेल की जाति बाबत इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

This Certificate is printed copy of electronic certificate which is recognised as per Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rule 2003 under the Information Technology Act 2000.

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सक्षम व क्षेत्रधिकार वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होने का सत्यापन मेरे द्वारा किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र में मिलित है।

The Electronic Certificate is authenticated with the digital signature of Competent Authority. This has been verified by me and the information printed on Certificate is contained in the above mentioned Electronic Certificate.

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक व उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी edistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning से प्राप्त की जा सकती है। On citing Application Reference Number, validly related details of the Certificate can be obtained at website-edistrict.cgstate.gov.in, or from QR code Scanning

4. यदि इस प्रमाण पत्र को किसी अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा सही करने से इंकार किया जाता है तो इसकी सूचना निकट के चॉइस केंद्र/लोक सेवा केंद्र को दे अथवा दूरभाष क्रमांक 0771-2533350 पर संचर्क करें।

In case of denial of acceptance of the Certificate by any Official or Office, inform the nearest CHOICE Center/Lok Sewa Kendra or inform through telephone number 0771-2533350.

मुद्रण दिनांक 27/10/2020

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

